

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड सोजत सिटी

2860-72
19/02/2018

निविदा सूचना संख्या : 20 वर्ष 2017-18

राजस्थान के राज्यपाल की ओर से 15 कार्य के लिए उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों जो कि राजस्थान सरकार के एए एवं ए श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो से निर्धारित प्रपत्र में ई-टेंडरिंग प्रक्रिया द्वारा ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	यू.बी.एन. नंबर	कार्य का नाम	अनुमानित लागत निर्माण कार्य (लाखों में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा शुल्क
1	PWD1718WSOB17718	मुख्यमंत्री जल स्वालम्बन अभियान (नगरीय) द्वितीय चरण के अन्तर्गत तहसील व कोर्ट भवन में वाटर हार्वैस्टिंग स्ट्रक्चर निर्माण कार्य।	4.33	2 माह	500.00
2	PWD1718WSOB17720	मुख्यमंत्री जल स्वालम्बन अभियान (नगरीय) द्वितीय चरण के अन्तर्गत राज. महाविद्यालय सोजत भवन में वाटर हार्वैस्टिंग स्ट्रक्चर निर्माण कार्य।	5.14	2 माह	500.00
3	PWD1718WSOB17722	मुख्यमंत्री जल स्वालम्बन अभियान (नगरीय) द्वितीय चरण के अन्तर्गत सी. सी. स्कूल भवन, सोजत में वाटर हार्वैस्टिंग स्ट्रक्चर निर्माण कार्य।	5.04	2 माह	500.00
4	PWD1718WSOB17724	मुख्यमंत्री जल स्वालम्बन अभियान (नगरीय) द्वितीय चरण के अन्तर्गत सी.सी.वा.स्कूल भवन सोजत में वाटर हार्वैस्टिंग स्ट्रक्चर निर्माण कार्य।	4.28	2 माह	500.00
5	PWD1718WSOB17726	मुख्यमंत्री जल स्वालम्बन अभियान (नगरीय) द्वितीय चरण के अन्तर्गत सी. स्कूल नं. 01 भवन सोजत में वाटर हार्वैस्टिंग स्ट्रक्चर निर्माण कार्य।	2.11	1 माह	500.00
6	PWD1718WSOB17727	मुख्यमंत्री जल स्वालम्बन अभियान (नगरीय) द्वितीय चरण के अन्तर्गत सी. स्कूल नेहडा वेश भवन सोजत में वाटर हार्वैस्टिंग स्ट्रक्चर निर्माण कार्य।	2.10	1 माह	500.00
7	PWD1718WSOB17728	मुख्यमंत्री जल स्वालम्बन अभियान (नगरीय) द्वितीय चरण के अन्तर्गत पुलिस थाना भवन सोजत में वाटर हार्वैस्टिंग स्ट्रक्चर निर्माण कार्य।	2.07	1 माह	500.00
8	PWD1718WSOB17729	मुख्यमंत्री जल स्वालम्बन अभियान (नगरीय) द्वितीय चरण के अन्तर्गत खनिज विभाग कार्यालय सोजत में वाटर हार्वैस्टिंग स्ट्रक्चर निर्माण कार्य।	1.89	1 माह	500.00
9	PWD1718WSOB17730	मुख्यमंत्री जल स्वालम्बन अभियान (नगरीय) द्वितीय चरण के अन्तर्गत पी.एच.ई.डी. कार्यालय सोजत में वाटर हार्वैस्टिंग स्ट्रक्चर निर्माण कार्य।	1.72	1 माह	500.00
10	PWD1718WSOB17731	मुख्यमंत्री जल स्वालम्बन अभियान (नगरीय) द्वितीय चरण के अन्तर्गत आई.टी.आई. भवन सोजत में वाटर हार्वैस्टिंग स्ट्रक्चर निर्माण कार्य।	4.24	2 माह	500.00
11	PWD1718WSOB17732	मुख्यमंत्री जल स्वालम्बन अभियान (नगरीय) द्वितीय चरण के अन्तर्गत पी.डब्ल्यू.डी. कार्यालय भवन सोजत में वाटर हार्वैस्टिंग स्ट्रक्चर निर्माण कार्य।	2.02	1 माह	500.00
12	PWD1718WSOB17733	मुख्यमंत्री जल स्वालम्बन अभियान (नगरीय) द्वितीय चरण के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी कार्यालय भवन सोजत में वाटर हार्वैस्टिंग स्ट्रक्चर निर्माण कार्य।	1.98	1 माह	500.00
13	PWD1718WSOB17734	मुख्यमंत्री जल स्वालम्बन अभियान (नगरीय) द्वितीय चरण के अन्तर्गत रा.सी.सी. स्कूल, जैतारण में वाटर हार्वैस्टिंग स्ट्रक्चर के अन्तर्गत स्टोरेज टैंक, चैम्बर, इत्यादि का निर्माण कार्य।	1.80	1 माह	500.00
14	PWD1718WSOB17735	मुख्यमंत्री जल स्वालम्बन अभियान (नगरीय) द्वितीय चरण के अन्तर्गत राजकीय सी.एच.सी. धिकित्वालय जैतारण में वाटर हार्वैस्टिंग स्ट्रक्चर के अन्तर्गत स्टोरेज टैंक, चैम्बर, इत्यादि का निर्माण कार्य।	1.80	1 माह	500.00
15	PWD1718WSOB17736	मुख्यमंत्री जल स्वालम्बन अभियान (नगरीय) द्वितीय चरण के अन्तर्गत तहसील कार्यालय जैतारण में वाटर हार्वैस्टिंग स्ट्रक्चर के अन्तर्गत स्टोरेज टैंक, चैम्बर, इत्यादि का निर्माण कार्य।	1.80	1 माह	500.00

1. निविदा प्रपत्रों को वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदक निविदा को इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर जमा कराएँ।
2. निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि निविदा प्रपत्र में दर्शाई गई कुल अनुमानित लागत की दो प्रतिशत होगी एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदको से पीडब्ल्यूएफएण्डआर के नियमानुसार अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड-सोजत के नाम देय होगी। निविदा के साथ आवश्यक दस्तावेज यथा वैध पंजीकरण, कर समायोजन पत्र आवश्यक प्रस्तुत करें।
3. निविदा प्रपत्रों हेतु आवेदन/डाउनलोड की अवधि दिनांक 20.02.2018 प्रातः 9.30 बजे से दिनांक 06.03.2018 को सायं 6.00 बजे तक होगी।
4. निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर दिनांक 20.02.2018 प्रातः 9.30 बजे से दिनांक 06.03.2018 को सायं 6.00 बजे तक होगी जमा कराये जा सकते हैं एवं प्राप्त निविदायें इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर इस कार्यालय में दिनांक 06.03.2018 को प्रातः 11.00 बजे से खोली जावेगी। यदि किसी कारणवश अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय एवं उसी स्थान पर निविदायें खोली जायेगी। निविदायें जमा करवाने के बाद निविदा की समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
5. निविदाएं कार्यालय अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. खण्ड सोजत के कार्यालय में खोली जायेंगी। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो व अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदायें खोली जायेगी। निर्माण कार्यों की गारण्टी अवधि राज्य सरकार द्वारा जारी नियमानुसार एवं अनुबंध के अनुसार होगी।
6. निविदायें खोलने की तिथि को किसी कारणवश सारी निविदायें नहीं खोली जा सकती है तो उसके अगले कार्य दिवस पर शेष निविदायें खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा।
7. निविदा खोलने की दिनांक से 30 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य (Open) रहेगी। यदि निविदाकर्ता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क/धरोहर राशि एवं प्रोसेसिंग शुल्क के डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक (निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि राष्ट्रीयकृत एवं अनुसूचित बैंको के डिमांड एवं बैंकर चैक जो कि सोजत सिटी में देय हो मान्य होगी) इस कार्यालय में दिनांक 07.03.2018 को सायं 6.00 बजे तक जमा करवाना आवश्यक है।
8. वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ.1(1)एफ.डी./जी.एफ.एण्ड आर./2007 दिनांक 30.09.2011 (सर्कलर नं.19/2011) के अनुसार 50.00 लाख रुपये तक की राशि के कार्यों के लिए 500/- व 50.00 लाख रुपये से अधिक राशि के कार्यों के लिये 1000/- की राशि निविदा शुल्क के अतिरिक्त देनी होगी जो डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में देय होगी। यह डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चैक मैनेजिंग डायरेक्टर, आर.आई.एस.एल. के पक्ष में व जयपुर में भुगतान योग्य होना चाहिये।
9. मुख्य अभियंता सा.नि.वि. के परिपत्र क्रमांक डी-140 दिनांक 20.09.2016 की पालना में नियमानुसार अनबैलेन्स बीड की राशि खण्ड कार्यालय में जमा करवाई जायेगी।
10. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार अघोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित है। आरपीडब्ल्यूए-100 की समस्त शर्तें मान्य होगी। कार्य पूर्ण करने की अवधि में मानसून अवधि सम्मिलित है।
11. महानरेगा योजना में सामग्री आपूर्ति में जी.एस.टी. एवं समस्त प्रकार के राजकीय कर संवेदक द्वारा प्रस्तुत दर में सम्मिलित होंगे। इनका विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
12. ई-टेन्डरिंग के लिए निविदा दाता हेतु निर्देश
13. (अ) इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदा दाता निविदा प्रपत्रों का इन्टरनेटसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड (Download) कर सकते हैं।

- (ब) निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेटसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाइन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रॉनिक निविदा में साइन करने हेतु काम आयेगा। निविदा दाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी सी ए (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदा दाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
- (स) निविदा दाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव डिजिटल साइन के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फॉर्म में स्वीकार्य नहीं होगा।
- (द) ऑन लाइन निविदाएँ निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपरोक्त क्रम संख्या 4 के अनुसार खोली जायेगी।
- (य) इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे की निविदा प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटैच कर दी गयी है।
- (र) कोई भी टेंडर इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्दार विभाग नहीं होगा।
- (ल) टेंडर के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को संपूर्ण रूप से भरकर ऑन लाइन दर्ज करें।
- (व) संवेदक निविदा के साथ अपलोड की गई मूल टेंडर फीस, टेंडर प्रोसेसिंग फीस, धरोहर राशि एवं इसी निविदा से संबंधित दस्तावेज भौतिक रूप में निर्धारित समयावधि में जमा कराना अनिवार्य है।
- (स) निविदा में वर्णित कार्यों की गारण्टी अवधि नियमानुसार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों के अनुसार रहेगी।

(राकेश माथुर)
अधिकाधी अभियंता,
सा.नि.वि., खण्ड सोजत सिटी

क्रमांक :- अअसो/2017-18/2860-72 दिनांक :- 19/02/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत/प्रेषित है:-

1. श्रीमान अधीक्षण अभियंता सा.नि.वि., वृत्त, पाली।
2. अधिकाधी अभियंता सा.नि.वि., खण्ड बाली/पाली/राउमा, पाली।
3. सहायक अभियंता सा.नि.वि. उपखण्ड, सोजत प्रथम/द्वितीय, चण्डावल/बर/जैतारण।
4. ठेकेदार संघ, पाली/जोधपुर।
5. तकनीकी सहायक/खण्डीय लेखाधिकारी/रोकड़पाल/अंकेक्षक चण्डावल।
6. नोटिस बोर्ड, सा.नि.वि. खण्ड सोजत सिटी।

(राकेश माथुर)
अधिकाधी अभियंता,
सा.नि.वि., खण्ड सोजत सिटी